



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042023-245226
CG-DL-E-18042023-245226

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]
No. 240]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2023/चैत्र 27, 1945
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2023/CHAITRA 27, 1945

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2023

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023

फा. सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खंड (फ) और (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः –

इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023 है।

ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 में :-

(I). विनियम 2 के वर्तमान उप-विनियम 1(झ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

(झ). “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की आस्तियों” से तात्पर्य है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर धारित अभिदाताओं की आस्तियां, न्यासी बैंक के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के खाते में धारित अभिदाताओं की राशि और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस न्यास की ओर से किसी अन्य मध्यवर्ती द्वारा होस्ट किया

गया ई-एनपीएस वेब पोर्टल तथा राष्ट्र पेंशन प्रणालीन्यास की खाता बहियों में दर्ज ऐसी अन्य सभी चल और अचल दोनों प्रकार की आस्तियां ;

इन आस्तियों में, प्राधिकरण द्वारा जारीनिवेश दिशानिर्देशों में यथानिर्दिष्ट नकद, प्रतिभूतियां और अन्य वित्तीय प्रपत्र शामिल होंगेऔरइसे अभिदाताओं की ओर से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा और इसके नाम पर धारित किया जाएगा ।

(II). विनियम 11 के वर्तमान उप-विनियम 2 (vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

(vi). प्राधिकरण को सूचित करते हुए, न्यास के कृत्यों के क्रियान्वयन या प्रशासन के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उनके वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें अवधारित करना ;

(III). विनियम 11 के वर्तमान उप-विनियम 2 (x) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

(x). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की किन्हीं आस्तियों या संपत्तियों के अभिरक्षक क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, तथा उसे समुद्देशित न करने, अंतरित न करने, बंधक न रखने, गिरवी न रखने, उधार न देने या उससे अन्यथा उसका व्ययन न करने संबंधी अनुदेश जारी करना जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किए गए किन्हीं भी परिपत्रों या निर्देशों या दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमति न प्रदान की गई हो;

(IV). विनियम 11 के वर्तमान उप-विनियम 2 (xviii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

(xviii). न्यासियों को, सद्भाव पूर्वक की गई केवल उनकी सद्भावी कार्यवाहियों के लिए उनको क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु किसी भारतीय बीमा कम्पनी से न्यासियों के लिये उपयुक्त क्षतिपूर्ति पालिसी की व्यवस्था करना। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, न्यासियों के रूप में कार्य करते समय न्यासियों और उसके अधिकारियों को, उनकी सद्भावी कार्यवाहियों से उद्भूत किसी विवाद या विधिक कार्यवाही की दशा में उन्हें विधिक या अन्य सहायता प्रदान कर सकता है ;

(V). विनियम 11 के उप-विनियम (2) में, खंड (xviii) के बाद, वर्तमान खंड (xix) के स्थान पर नया खंड (xix) निम्नानुसार सन्निविष्ट किया जाएगा –

(xix). राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीन्यास या ऐसे न्यास की ओर से किसी अन्य मध्यवर्ती द्वारा होस्ट किए गए "ई-एनपीएस" ऑनलाइन वेब पोर्टल के संचालन की नियमित आधार पर प्रबंधन और निगरानी, जिसमें उससे सम्बंधित कोई भी कृत्य या प्रासंगिक गतिविधियां शामिल हैं ;

(VI). विनियम 11 के उप-विनियम (2) में पूर्ववर्ती खंड (xix) (सन्निविष्ट करने से पहले) को नये खंड (xx) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

(VII). विनियम 12 के वर्तमान उप-विनियम (ट) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

(ट). पेंशन निधियों से ऐसी कोई आस्ति अर्जित नहीं करना जिसमें उस पर कोई ऐसे दायित्व की धारणा अन्तर्वलित हो, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसके अभिदाताओं की संपत्ति का किसी प्रकार से अधिभार हो, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किए गए किन्हीं भी परिपत्रों या निर्देशों या दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमति न प्रदान की गई हो ;

पादलेख :

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामकऔरविकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र मेंभाग III, खंड 4 में 12 मार्च 2015 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/5 केमाध्यम से प्रकाशित किए गए थे।
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019, भारत के राजपत्र मेंभाग III, खंड 4 में 29 जुलाई 2019 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/5 केमाध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020, भारत के राजपत्र मेंभाग III, खंड 4 में 29 जुलाई 2020 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/5 केमाध्यम से प्रकाशित किए गए थे।
4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021, भारत के राजपत्र मेंभाग III, खंड 4 में 14 जून 2021 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/5 केमाध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा./020/2023-24]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2023

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (NATIONAL PENSION SYSTEM TRUST) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. PFRDA/12/RGL/139/5.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clause (v) and clause (w) of sub-section (2) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015, namely: -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Amendment) Regulations, 2023.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015: -

(I). Existing Sub-regulation (1)(i) of regulation 2 shall be substituted as below –

- (i) “Assets of the National Pension System Trust” shall mean the assets of the subscribers held in the name of the National Pension System Trust, the funds of the subscribers held in the account of National Pension System Trust with Trustee Bank, e-NPS web portal hosted by the National Pension System Trust or by any other intermediary on behalf of such Trust and such other assets both moveable and immoveable, as are recorded in the books of accounts of National Pension System Trust;

These assets shall comprise cash, securities and any other instruments as specified in the investment guidelines issued by the Authority and held by and in the name of the National Pension System Trust, on behalf of the subscribers.

(II). Existing Sub-regulation (2)(vi) of regulation 11 shall be substituted as below –

- (vi) appoint officers and other staff for implementation or administration of the functions of the trust, and to determine their pay and allowances and other terms and conditions of service, with intimation to the Authority;

(III). Existing Sub-regulation (2)(x) of regulation 11 shall be substituted as below –

- (x) monitor the activities of and issue instructions to the custodian, not to assign, transfer, hypothecate, pledge, lend or otherwise dispose of any assets or property of the National Pension System Trust, held by such custodian, except to the extent specifically permitted under any circulars or directions or guidelines issued, by the Authority, in that behalf;

(IV). Existing Sub-regulation (2)(xviii) of regulation 11 shall be substituted as below –

- (xviii) arrange for a suitable indemnity policy for the trustees from an Indian Insurance Company to provide indemnity to trustees, only for their *bona fide* actions, carried out in good faith. The National Pension System Trust may provide for legal and other assistance to the trustees or its officers, in any disputes or legal proceedings arising on account of their *bonafide* actions which have beentaken while acting in that capacity;

(V). In regulation 11, in sub-regulation (2), after clause (xviii), new clause (xix) shall be inserted in place of existing clause (xix) as below-

(xix) manage and monitor on a regular basis the operation of the “eNPS” online web portal hosted by the National Pension System Trust or by any other intermediary on behalf of such Trust, including any functions or activities incidental thereto;

(VI). In regulation 11, in sub-regulation (2), clause (xix) as existed (prior to insertion), shall be renumbered as new clause (xx).

(VII). Existing Sub-regulation (k) of regulation 12 shall be substituted as below -

(k) it shall not acquire any asset out of the pension funds, which involves the assumption of any liability upon itself, which may result in encumbrance of the property of the National Pension System Trust or that of the subscribers in any manner, except to the extent specifically permitted under any circulars or directions or guidelines issued, by the Authority, in that behalf;

Dr. DEEPAK MOHANTY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./020/2023-24]

Footnote:

1. The principal regulations, Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on March 12, 2015 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/5.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (First Amendment) Regulations, 2019 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on July 29, 2019 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/5.
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Second Amendment) Regulations, 2020 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on July 29, 2020 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/5.
4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Amendment) Regulations, 2021 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on June 14, 2021 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/5.